पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –38 / 2021(2021 / 00058)

अनवान : –

रूपेश कुमार पुत्र जगदीशराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 29, भादरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जगदीशराम पुत्र चन्द्रभान जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 29, भादरा तहसील भादरा।
2. सुमन शर्मा पुत्री जगदीशराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 29, भादरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी रविन्द्र बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 30 / 33 के मुरब्बा न0 62 के किला न0 11, 19 ता 23, मु0 न0 63 के किला न0 11 ता 25, मु0 न0 64 के किला न0 15, 16, 25, मु0 न0 72 के किला न0 1 ता 6, मु0 न0 73 के किला न0 1, 10 इस प्रकार कुल किता 32 की कुल 8.096 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जगदीशराम के नाम 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 जगदीशराम की बजाय वादी रूपेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़